न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर०ए०एस०
प्रकरण संख्या 17/2018 (उदयपुर डिक्री)

नाथूसिंह पिता हमेरसिंह राजपूत, निवासी मन्देसर का गुडा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. भंवरसिंह पिता जयसिंह, निवासी मन्देसर का गुडा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. मैसर्स उदयपुर सीमेन्ट वर्कस लिमिटेड, श्रीपति नगर जरिये रोहिनी कुमार पिता श्री भोलीराम गुप्ता, निवासी उदयपुर (राज.)
3. प्रताबसिंह पिता हमेरसिंह राजपूत, निवासी मन्देसर का गुडा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
4. अमरसिंह पिता किशनसिंह राजपूत, निवासी मन्देसर का गुडा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
5. देवीसिंह पिता किशनसिंह राजपूत, निवासी मन्देसर का गुडा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती तुलसा कुंवर पुत्री किशनसिंह राजपूत, निवासी मन्देसर का गुडा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
7. श्रीमती प्रेम कुंवर पुत्री किशनसिंह राजपूत, निवासी मन्देसर का गुडा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
8. श्रीमती नानी कुंवर उर्फ डुल कंवर पत्नी किशनसिंह राजपूत, निवासी मन्देसर का गुडा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
10. उप पंजीयक, वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज० काश्त०
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री
उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर दिनांक
07.12.2017 प्रकरण संख्या 100/2017

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:53:26 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित :– 1– श्री महेन्द्र मेनारिया अभिभाषक अपीलान्ट

2– श्री जयराजसिंह झाला अभिभाषक रे.सं. 1

3– श्री मदनसिंह चौहान अभिभाषक रे. सं. 2

4– श्री रतनसिंह देवडा अभि.रेस्पो.सं.3 से 8

5– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———/———

निर्णय **दिनांक 21–08–2024**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मन्देसर का गुडा में आराजी नंबर 115/1 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त आराजी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 से 7 का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 45/118 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 14/118 हिस्सा अंकित है, जिनका सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार होकर मूल पुरूष लालसिंह जी के दो पुत्र हमेरसिंह व जयसिंह हुए। हमेरसिंह के तीन पुत्र किशनसिंह, प्रताबसिंह व नाथूसिंह हुए। किशनसिंह के वारिस प्रतिवादी संख्या 4 से 8 हैं। उक्त भूमि संयुक्त परिवार की होकर वादी नाथूसिंह का 1/6 हिस्सा होकर इसी अनुसार काबिज है। उक्त भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है, फिर भी प्रतिवादी संख्या 1 ने 14/118 हिस्सा यानि 14 बिस्वा भूमि का विशिष्ठ भाग प्रतिवादी संख्या 2 को विक्रय कर दिया है, जिस पर प्रतिवादी संख्या 2 ने अवैध रूप से खनन कार्य प्रारम्भ कर दिया है, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतः विवादित आराजियात का पक्षकारान के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर वादी को 1/6 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 3 को 1/6 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 4 से 7 को 1/6 हिस्से का मृतक हमेरसिंह के बजाय विरासत से खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय दिनांक 19–06–2015 को वादी का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की तत्पश्चात प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 12–05–2016 को अंतिम डिक्री पारित की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा न्यायालय राजा में अपील संख्या 48/2016 प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:53:26 IST
Reason: SelfAttested

की गयी जो न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 27–07–2017 को स्वीकार की जाकर प्रकरण पुनः विधिवत विभाजन करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया।

न्यायालय हाजा के रिमाण्ड आदेश की पालना में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 07–12–2017 को अंतिम डिक्री जारी की गयी, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 30–01–2018 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री जयराजसिंह झाला उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री मदनसिंह चौहान उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 से 8 की ओर से अधिवक्ता श्री रतनसिंह देवड़ा उपस्थित हुई। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 9, 10 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि फर्द बंटवारा तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किया गया है तथा विभाजन में अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी भूमि का ध्यान नहीं रखा गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर निर्णय किये बिना जल्दबाजी में अंतिम डिक्री जारी की है। अपीलान्ट एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 से 7 एक ही परिवार के सदस्य होने से उन्हें एक तरफा भूमि नहीं देकर टुकडों में भूमि दी गयी है, जो प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं अंतिम डिक्री निरस्त की जावे तथा पुनः विधिवत विभाजन हेतु प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन नियमों की पालना करते हुए मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया गया है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। न्यायालय हाजा के रिमाण्ड आदेश की पालना

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:53:26 IST
Reason: SelfAttested

में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः पक्षकारान को नोटिस जारी किये गये। उक्त सूचना पत्र पर स्वयं वादी/अपीलान्ट नाथूसिंह के हस्ताक्षर हैं तत्पश्चात् पक्षकारान की उपस्थिति में उनके हिस्से व कब्जे तथा पक्षकारान द्वारा उठायी गयी आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए फर्द बंटवारा तैयार किया जाना प्रथम दृष्टया प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में उक्त फर्द बंटवारे के आधार पर जारी अंतिम डिक्री विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 07–12–2017 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 21–08–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:53:26 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰** .....

नाथूसिंह पिता हमेरसिंह राजपूत, मन्देसर का गुडा, तह.वल्लभनगर, जिला उदयपुर

बनाम

भंवरसिंह पिता जयसिंह, निवासी निवासी मन्देसर का गुडा, तह0 वल्लभनगर, जि.उदयपुर व अन्य

अपील नं॰.....**17/2018**....व नाराजगी डिगरी अदालत.....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....वल्लभनगर..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....07**.....माह.....**12**.....**2017**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**21**....माह.....**08**....सन् **2024** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री महेन्द्र मेनारिया**...मिनजानिब अपीलान्ट व..**जयराजसिंह झाला/मदनसिंह चौहान/ रतनसिंह देवड़ा**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 07–12–2017 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....)....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**21**.....माह.....**08**.....**2024** को जारी किया गया।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:53:26 IST
Reason: SelfAttested